रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221021
CG-DL-E-08082020-221021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 318]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SHRAVANA 16, 1942

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020

सं. 11012/248/2015–प्रशा.–। – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित, धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**– (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 कहलाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रमुख विनियमों के लिए अनुसूची में निम्नलिखित पद के लिए पात्रता मानदंड और अर्हताएं निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :–

   ''राजस्व सहायक''

3. प्रमुख विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता मानदंड और अर्हताएं निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

   ''वित्तीय विश्लेषक''

<u>फुट नोटः</u> प्रधान विनियम अधिसूचना सं. भाराराप्रा–12011/1/95–प्रशा., दिनांक 11 मार्च, 1996 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–III, खण्ड 4 दिनांक 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र

असाधारण, भागः III, खंड 4, दिनांक 11.02.2020 में प्रकाषित अधिसूचना सं. 11012/260/2015–प्रषा., दिनांक 11.02.2020 द्वारा किया गया था ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

इस संशोधन की अधिसूचना के पहले किया गया या छोड़ा गया कुछ भी इस संषोधन के प्रख्यापन से प्रभावित नहीं होगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	भर्ती की पद्धति
1	2	3	4	5
राजस्व सहायक	02 (2020)	समूह 'ख'	लेवल–6	सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति/संविदा

आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं और अपेक्षित अनुभव	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा भर्ती के मामलों में जिस ग्रेड से भर्ती किया जाना है
6	7	8
सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्यः** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री; **अनुभवः** राजस्व/कैडस्ट्राल मैप की व्याख्या करने और अनुपलब्ध प्लाट संख्या आदि की जांच/पहचान करने की क्षमता सहित राजस्व मामले और भू–अधिग्रहण से संबंधित मामलों में कम से कम पांच साल का अनुभव।	**(1)** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तषासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** : (i) जो अपने मूल संवर्ग में वेतन लेवल 6 (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) या मूल संवर्ग/विभाग में आईडीए पैटर्न में सदृष पद धारित किए हुए हों। अथवा (ii) वेतन लेवल 5 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में 3 साल की सेवा हो गई हो! अथवा (iii) वेतन लेवल 4 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में 8 साल की सेवा हो गई हो। और जिन्हें स्तंभ 7 में निर्धारित अनिवार्य 'षैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हो। (2) स्तंभ 7 में निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव रखने वाले प्रत्याषियों में **से सीधी भर्ती द्वारा ।** सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी और इसमें भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार लागू आरक्षण मानदण्ड सहित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों ही होंगे । **(3) संविदा द्वारा** (संगठनात्मक जरूरत के आधार पर) खुले विज्ञापन के माध्यम से स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त आवेदकों में से की जाएगी । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बषर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	भर्ती की पद्धति
1	2	3	4	5
वित्तीय विश्लेषक	01 (2020)	समूह 'क'	लेवल–14	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा

आयु सीमा (केवल प्रतिनियुक्ति और संविदा के मामले में)	शैक्षिक अर्हताएं और अपेक्षित अनुभव	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा द्वारा भर्ती के मामलों में, जिस ग्रेड से भर्ती किया जाना है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र/प्रबंधन (एक प्रमुख विषय के रूप में वित्त के साथ) सीए/आईसीडब्ल्यूए में स्नातकोत्तर डिग्री ; और (ii) समूह –'क' के रूप में [वेतन बैंड– 3 (रू 15600–39100) के वेतन मान, ग्रेड वेतन रू 5400/– के साथ] पूर्व–संशोधित अथवा नियमित आधार पर लेवल 10 अथवा समकक्ष स्तर पद या उच्च स्तर पद पर अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय विश्लेषण में कम से कम 5 वर्षों के अनुभव सहिंत 17 वर्षों की सेवा	खोज सह चयन समिति के माध्यम से चयनः– (1) **पदोन्नतिः** महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) या समतुल्य पद पर कार्यरत आंतरिक प्रत्याशियों में से जिनकी कम से कम 03 साल की अवधि की नियमित आधार पर सेवा हो और जो स्तंभ 7 में निर्धारित अनिवार्य अनुभव रखते हों। अथवा **(2) प्रतिनियुक्ति** : केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तषासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) जो अपने मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड– 4 (रू 37400–67000) ग्रेड वेतन 10,000/– पूर्व–संशोधित अथवा लेवल –14 (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) अथवा आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों । अथवा (ii) जिनकी अपने मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड– 4 (रू 37400–67000) के वेतन मान ग्रेड वेतन रू 87,00/– पूर्व–संशोधित में अथवा लेवल –13 अथवा आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद सदृष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो और स्तंभ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और आवश्यक अनुभव प्राप्त हों। अथवा (3) **संविदाः** कम से कम 17 साल का संगत अनुभव जिसमें से कम से कम 05 साल का अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय विश्लेषण का अनुभव और स्तंभ 7 (i) में निर्धारित आवश्यक अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों में से संविदा द्वारा। **संविदात्मक नियुक्ति की अवधि** : तीन वर्ष की अवधि को 02 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि पदधारी 60 वर्ष की आयु से अधिक न हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधिः** चयन होने पर नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन वर्षों की होगी जिसे संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर अगले दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

[विज्ञापन–III/4/असा०/173/2020–21]

आलोक, सदस्य (प्रषासन)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2020

No. 11012/248/2015-Admn.I—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely:—

1. **Short title and commencement.-**(1) these regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following post shall be inserted, namely:

"Revenue Assistant"

3. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following post shall be substituted, namely:

"Financial Analyst"

Foot note : The principal regulations were published vide notification No.NHAI-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.11012/260/2015-Admn., dated 11.02.2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, dated the 11.02.2020.

Explanatory Memorandum:
Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification of the post	Pay level in pay matrix	Mode of recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Revenue Assistant	02 (2020)	Group B	Level 6	Direct Recruitment/ Deputation/Contract

Age limit	Academic/Professional qualifications and experience required for Direct Recruitment	In case of recruitment by deputation/direct recruitment/contract, the grades from which to be made
(6)	(7)	(8)
35 years for direct recruitment. For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential:** Bachelor's degree in any discipline from a recognized University/ Institute. **Experience:** At least five years' experience in revenue matter and matters related to land acquisitions including ability to interpret the revenue/ cadastral maps and to check/ identify missing plot numbers etc.	(1) **By Deputation** from officials under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies: (i) Holding analogous posts in the parent cadre in pay level 6 (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/department **OR** (ii) with **three years'** service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in pay level 5 or equivalent. **OR** (iii) with **eight years'** service in the grade rendered after

		appointment thereto on regular basis in posts in pay level- 4 or equivalent. **AND** Possessing the essential qualification and experience stipulated in column 7. (2) **By direct recruitment** from candidates possessing essential qualification and experience stipulated in column 7. Direct recruitment will be made through open advertisement and will have written test or interview or both with applicable reservation criteria as per Government of India instructions. (3) **By Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants possessing educational qualifications and experience stipulated in Column 7. **Period of deputation**: Initial period of deputation shall be three years, which may be extended for a period of two years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another two years beyond five years shall be done with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways, subject to satisfactory performance.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification of Post	Pay level in Pay Matrix	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Financial Analyst	01 (2020)	Group-A	Level 14	Promotion/Deputation/ contract

Age limit (in respect of deputation & contract only)	Educational qualifications and experience required	In case of recruitment by Promotion/ deputation / contract, the Grades from which to be made
6	**7**	**8**
56 years	Essential Educational Qualifications and Experience:- (i) Post Graduate Degree in Economics / Management (with Finance as a major subject)/ CA/ ICWA from a recognized University / Institute; And (ii) 17 years' service as Group-'A' [Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/-] pre-revised or Level 10 or equivalent level post or higher on regular basis with at least 5 years' experience" in financial analysis of infrastructure projects.	Selection through Search-cum-Selection Committee:- (1) **Promotion**: From internal candidates holding the post of a General Manager (Finance/Accounts) or equivalent on regular basis for a period of at least three years' and possessing the essential experience stipulated in column 7. OR (2) **Deputation** : By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions affiliated to Government of India or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) Holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay of Rs.10,000/- pre-revised or Level 14 (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department;

		OR (ii) With three years of regular service in the posts in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade pay Rs.8700/- pre-revised or Level 13 or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/department; and possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7; OR (3) **Contract**: by contract from candidates having at least 17 years' of relevant experience out of which at least 05 years' experience in financial analysis of infrastructure projects, and possessing essential educational qualifications stipulated in column 7 (i). **Period of contractual appointment**: Three years extendable by a period of upto 02 years provided the incumbent does not cross 60 years of age. **Period of Deputation**: Period of appointment on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years, subject to satisfactory performance.

[ADVT.-III/4/Exty./173/2020-21]

ALOK, Member (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 22:45:20 +05'30'